हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर/दिनांक
20/6/22 R.T.I भावेन्द्र	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादीया द्वारा वाद विड्रा करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20/5/22 को पेश किया जा चुका है। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस्तुत प्रकरण मे वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने पर राजीनामा पत्रावली मे प्रस्तुत किया गया लेकिन अब वादीया के मन मे बेईमानी आ गई और वह कोर्ट में किए गए राजीनामा से मुनकिर होने के प्रयासरत है। और इसी अपेक्षा में ही वादीया अब मन प्रतिवादी के अनुतोष को खत्म करने बिना चोरी छुपे से अपने वाद पत्र को जरिए विड्रा निरस्त करवाना चाहती है। जबकि वादग्रस्त भूमि में मन प्रतिवादी का हित निहित है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी अपने अनुतोष को प्राप्त करने के लिए काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) पेश करना चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं दस्तावेजों पर मनन किया गया। प्रतिवादी के द्वारा आज दिनांक तक प्रतिदावा पेश नही किया गया है। एवं वादीया को वाद जारी रखने हेतु बाध्य नही किया जा सकता। वादीया का आवेदन में वर्णित किया है कि वह वाद नही चलाना चाहती है एवं नया दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए [illegible] करना चाहती है। फलतः वादीया [illegible] पेश करने के अधिकार [illegible] रखते हुए जरिए विड्रा वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहते है तो नियम-कायदा से पृथक से वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर छेककर हो।	

P. [signature]

प्रियंका तलानिया
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Tala[illegible]
Date: 2022.07.27 14:34:55 IST
Reason: SelfAttested